UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal :
Research Paper
Research Link - 165, Vol - XVI (10), December - 2017, Page No. 139-140
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

कन्या भ्रूण हत्या के कारण एवं निदान के उपाय

प्रस्तुत शोधपत्र में कन्या भ्रूण हत्या के कारण और निदान के उपायों का विवेचन किया गया है। वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या के सरकारी एवं गैर-सरकारी तरीके से निदान हेतु अनेक उपाय किये जा रहे हैं, जिसका प्रभाव निश्चित ही भारतीय समाज पर हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या के वास्तविक कारण के निदान हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की कनयाओं की शिक्षा-दीक्षा, व्यक्तित्व विकास एवं विवाह हेतु अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से किया जा रहा है।

डॉ.(श्रीमती) मीना श्रीवास्तव

'कन्या भ्रूण हत्या' यह एक ऐसा हृदय विदारक शब्द है, जो भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्यों पर निश्चित ही घातक प्रतीत होता है। 'कन्या भ्रूण हत्या' से स्पष्टतः हमारे मस्तिष्क पर एक ऐसा घिनौना दृश्य परिलक्षित होता है, जिसे स्वप्न में भी स्वीकारना हमारे लिये अनुचित है। भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही 'कन्या' को 'देवी' रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। देवी की अपार शक्ति से भी हम भली भांति परिचित हैं, परन्तु यदि 'कन्या–भ्रूण' को माँ की कोख में विकसित होने की सतत् प्रक्रिया के दौरान ही क्रूरतापूर्वक उसके टुकड़े–टुकड़े करके समाप्त कर दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि इतने बड़े कुकृत्य को करने वाला मनुष्य निश्चित ही महापाप का भागीदारी होगा। यह ऐसा पाप है, जो अक्षम्य है। यही कारण है कि 'कन्या भ्रूण हत्या' को कानूनन दृष्टि से अपराध की श्रेणी में माना गया है। ऐसे कृत्य के भागीदारों को दण्ड का प्रावधान भी है, जो भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया एक सराहनीय कार्य है।

भारतीय समाज में 'कन्या–भ्रूण हत्या' के मुख्य कारण क्या हैं ? इस विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तथा वर्तमान स्थिति में अनेक ऐसी सामाजिक परम्पराओं के अन्तर्गत बुराइयों का समावेश हमें दिखाई देता है, जो कन्या भ्रूण हत्या के हृदयस्पर्शी कारण है। प्रमुख कारण निम्न हैं :

(1) कन्या जन्म अशुभ माना जाना : ऋग्वैदिक काल में पुत्र अथवा पुत्री के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती थीं। सामाजिक तौर पर पुत्र–पुत्री में भेदभाव नहीं था। संस्कार भी सभी समान रूप से सम्पन्न किए जाते थे, परन्तु उत्तरवैदिक काल में नारियों की स्थिति में परिवर्तन होने लगा था। नारियों के सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आयी थी। अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण और तैतिरीय संहिता में कन्या का जन्म दुःख का कारण माना गया है।[1] शनैः शनैः पुत्री जन्म को अशुभ माना जाने लगा और पुत्र को वंश का रक्षक माना जाने लगा। पुत्री के प्रति इस तरह असमानता का मुख्य कारण था, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों का स्थापित हो जाना, जैसे कि वे उपनयन संस्कार से वंचित कर दी गयी। विवाह के अतिरिक्त उनके सभी संस्कार बिना वैदिक मंत्रों के होते थे।[2] जबकि नारी शिक्षा, संगीत–नृत्य, युद्ध आदि में प्रवीण होती थी, इसके बाद भी नारियों की भारतीय समाज में प्रतिष्ठा कम होती गई। स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा को लेकर गुप्तकाल में कुछ ऐसी बातें विकसित हुई, जो बाद की शताब्दियों में उसकी विशेषता बन गई। अल्पायु में विवाह, सती प्रथा आदि प्रथाएँ इसी काल में सामने आईं।[3] इन्हीं सभी स्थितियों के कारण पिता के लिये कन्या एक समस्या थी और पुत्र आगमन का स्वागत होने लगा।

(2) मध्यकाल में स्त्रियों के प्रति असंतोषजनक व्यवहारः सल्तनत काल (1200 से 1526 ई.) एवं मुगलकाल (1526–1707 ई.) में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति विचारणीय थी। कुछ जातिवर्ग ऐसे भी थे, जो कन्या के जन्म होने पर तुरन्त ही उसकी हत्या कर देते थे। कन्या शिशु की हत्या उसके मुँह में जहरीला पदार्थ खिलाकर कर दी जाती थी अथवा कन्या शिशु को उसके जन्म के तुरन्त बाद ही खाट अथवा पलंग के पाये के नीचे दबाकर भी मार डाला जाता था। कन्या की हत्या किये जाने की घटना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था। कन्या शिशु को मार दिए जाने के पीछे मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि संभवतया तत्कालीन समाज में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल–विवाह[4], शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता जैसे अव्यवहारिक कृत्यों ने अपनी जड़े जमा ली थी। इन कुप्रथाओं के कारण कन्या एवं स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय होती चली गई। समाज में इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगा।

(3) आधुनिक काल में कन्याओं की स्थिति : भारतीय समाज में, आधुनिक काल में पूर्व से चली आ रही असंतोषजनक कन्या अथवा स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाये जाने पर विचार किया जाने लगा। अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की

विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

स्थिति में सुधार कार्य आरंभ किए गए इस परिप्रेक्ष्य में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, एनी बेसेन्ट, महात्मा गाँधी आदि ऐसे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज के समक्ष अपने यह विचार रखे कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना और उसका विकास तभी संभव है, जब उस समाज के पुरूषों के साथ स्त्रियों के व्यक्तित्व विकास की ओर भी ध्यान दिया जाए, इस विचारधारा के साथ स्त्री शिक्षा के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए।

सती प्रथा, बाल–विवाह प्रथा, कन्या हत्या, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु सरकार ने विभिन्न धारायें लागू कीं।[5] सम्पत्ति अधिकार में भी पुत्र के समान ही पुत्री को भी समान अधिकार दिए जाने के प्रयास आरंभ हुए, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जा सके।

(4) वर्तमान में महिलाओं की स्थिति : वर्तमान में सरकार द्वारा स्त्री पक्ष में अनेक सुधार किए जाने के उपरांत भी स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यही कारण है कि भारतीय सरकार 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' के नारे के साथ कन्याओं की पूर्ववत स्थिति में सुधार के प्रयास में जुट गई है। दहेज प्रथा के दानव की बलि कई मासूम बेटियाँ चढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों से ज्ञात होता है कि मासूम कन्यायें अपने कर्तव्य पथ में बढ़ते हुए निम्न वैचारिक पुरूषों की हवस का शिकार हो जाती हैं। हृदय दहल जाता है उस वक्त जब नन्हीं–नन्हीं मासूम बालिकायें भी पुरूष हवस की गिरफ्त में फंसकर अपना शील आचरण गंवा बैठती हैं। इस प्रकार की घटनाएँ जहाँ एक ओर कन्याओं को आत्महत्या के लिए मजबूर करती हैं, तो वही दूसरी ओर समाज में कन्या जन्म के प्रति उदासीनता की स्थिति उत्पन्न करने में सहायक हो जाती है। उपर्युक्त असामाजिक कृत्यों के कारण 'कन्या जन्म' समाज में दुःख का कारण परिलक्षित करता है।

(5) कन्या भ्रूण हत्या के निदान के उपाय : यद्यपि वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या के सरकारी एवं गैर सरकारी तरीके से निदान हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव निश्चित ही भारतीय समाज पर पड़ रहा है। कन्या भ्रूण हत्या के वास्तविक कारण के निदान हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की कन्याओं की शिक्षा–दिक्षा, व्यक्तित्व विकास एवं विवाह हेतु अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन महिला एवं बाल–विकास मंत्रालय के सौजन्य से किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेमीनार, नाटक एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से 'कन्या–भ्रूण हत्या' रोकथाम के प्रयास हो रहे हैं।

योग्य छात्राओं को अनेक प्रकार से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। सरकारी नौकरियों में छात्राओं को कुछ प्रतिशत स्थान प्रदान किए जा रहे हैं। अनाधिकृत रूप से कन्याओं के साथ व्यभिचार करने वाले युवकों अथवा पुरूषों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बलात्कार जैसे कुकृत्यों के लिए अपराधी को फांसी की सजा भी दिए जाने का प्रावधान है। कन्याएँ अपने साथ हो रहे, अत्याचारों के प्रति सजग रहकर कदम उठा सके इस हेतु कन्याओं के साथ घटित घटनाओं की गोपनीयता की ओर भी पूरा ध्यान रखा जाता है।

वर्तमान स्थिति में नवयुवक एवं नवयुवतियाँ दहेज जैसी विभीषिका के निवारण हेतु संकल्पित हो इस कुरीति को दूर करने में प्रयासरत है। शिक्षित छात्राओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की कन्यायें भी दहेज प्रथा की बलि नहीं चढ़ना चाहती हैं। कन्याएँ आज शिक्षित होकर, रोजगार अपनाकर पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहाँ छात्राएँ पीछे हों। राजनीति, मनोरंजन, खेल, शिक्षा, व्यवसाय आदि प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है।

उपर्युक्त स्थिति के अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट होता है कि 'कन्या–भ्रूण हत्या' का बोलबाला भारत में रहा है, जिसके निदान हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी किया गया है कि माँ की कोख में पल रही कन्या का उत्तरोत्तर विकास हो सके, उसकी हत्या ना की जा सके इस हेतु 'कन्या भ्रूण हत्या' को एक जघन्य अपराध मानते हुए प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों को ऐसा ना करने की हिदायत दी गई है। साथ ही 'कन्या भ्रूण हत्या' में संलग्न होने वाले माता–पिता एवं चिकित्सक को दण्ड दिये जाने का भी प्रावधान है। यह व्यवस्था कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम में निश्चित ही सहायक रही है। कन्या जन्म पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवार की कन्या की पढ़ाई–लिखाई एवं विवाह की जिम्मेदारी सरकार ने लेते हुए, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है जिसे क्रियान्वित भी किया जा रहा है। आज कन्या भ्रूण हत्या के अपराध को रोकने हेतु जागृति के लिए भारत में यह अति आवश्यक है कि ''समाज में धीरे–धीरे 'पुरूष प्रधान समाज' के जनमानस की मानसिकता को परिवर्तित करने क लिए व्यापक जन–अभियान चलाने की आवश्यकता है, साथ ही जो कानूनी प्रावधान बने हुए हैं, उन्हें दृढ़ता और ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए तथा उनमें आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना भी आवश्यक है। समाज की सजग प्रहरी पुलिस होती है।''[6] अतः उसे भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए।

कन्या शिशु हत्या पर रोक हेतु 1796 ई. में रेगूलेशन सं. XXI पारित किया गया। इसी प्रकार से 1804 में भी रेग्युलेशन संख्या III पारित हुआ[7], जिससे कि कन्याओं की हत्या रोकी जा सके। कन्या भ्रूण की जांच करवाने वालों की भी सरकार द्वारा गुप्त जांच–पड़ताल के द्वारा दोषियों का अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। इन सबके फलस्वरूप ही नन्हीं–नन्हीं कन्याएँ भारत की भूमि में जन्म ले पायेगी और इन पंक्तियों को निश्चित ही चरितार्थ भी करेगी।

<u>सन्दर्भ :</u>

(1) पारिख, एस.के. एवं दहीभाते, ए.सी. (1996–97) : भारत का इतिहास, राम प्रसाद एण्ड संस आगरा/भोपाल, पृ.क्र. 43. ***(2)*** *उपरोक्त, पृ.क्र. 43.* ***(3)*** *झा, द्विजेन्द्र नारायण एवं श्री माली कृष्ण मोहन (1981) : प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ.क्र. 313.* ***(4)*** *वरे, एस.एल. (2015) : मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ.क्र. 26.* ***(5)*** *वर्मा, दीनानाथ : आधुनिक भारत का इतिहास, ज्ञानदा प्रकाशन पटना/नई दिल्ली, संस्करण : द्वादश जुलाई 1978, पृ.क्र. 270 से 275.* ***(6)*** *वरे, एस.एल. : भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ.क्र. 298.* ***(7)*** *खुराना, के.एल. एवं चौहान, एस.एस. (2014–15) : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ.क्र. 178.*

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal :
Research Paper
Research Link - 165, Vol - XVI (10), December - 2017, Page No. 141-143
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन एवं वर्तमान चुनौतियाँ (छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र, ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन एवं वर्तमान समस्याओं व महत्व से सम्बंधित है। ई-गवर्नेंस नागरिक सेवा को बदलने, सशक्त बनाने एवं जनता की भागीदारी के साथ आर्थिक एवं सामाजिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि जनता को बेहतर जीवन प्राप्त हो सके। ई-गवर्नेंस की अवधारणा एक आधुनिक विकास क्रम की देन है। इसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में सूचना एवं संचार का अनुप्रयोग वृहत रुप में किया जाता है। अन्य अर्थो में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ई-गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

डॉ.सुनीता मिश्रा* एवं अरुणा ठाकुर**

प्रस्तावना :

ई–शासन अथवा इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन मूलतः साधारण, नैतिक, जिम्मेवार प्रत्युत्तरदायी और पारदर्शी अधिशासन लाने के लिए सरकारी कार्यकरण की प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है। भारत में ई–गवर्नेंस की शुरूआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव तथा कर संग्रह आदि के कम्प्यूटरीकरण के साथ सन् 1970 में शुरू हो गई थी, परन्तु उस समय तक उक्त विषयों से संबंधित दस्तावेजों तथा आंकड़ों को सिर्फ कम्प्यूटरों में सुरक्षित करने तक ही इसका प्रयोग किया जाता था। नब्बे के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट के आगमन से ही इन आंकड़ों–दस्तावेजों तथा सूचनाओं का बहुपक्षीय अन्तरण, आवागमन एवं संग्रहण भी शुरू किया जाने लगा। वर्ष 2000 तक बीएसएनएल तथा एमटीएनएल ने ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क तथा सेटेलाइट सेवाओं द्वारा देश के सभी प्रमुख मंत्रालयों, विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करके उन्हें इंटरनेट सेवाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। इसी परिपेक्ष्य में वर्ष 2000 में आईटी अधिनियम 2000 लागू किया गया, जिसमें डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित उपयोग तथा आवागमन से संबंधित कानूनी प्रावधान बनाए गए।

ई–शासन की परिभाषा :

यद्यपि ई–शासन शब्द ने हाल के वर्षो में लोकप्रियता प्राप्त कर ली है, फिर भी इस शब्द की कोई मानक परिभाषा नहीं है। कुछ व्यापक रूप से प्रयुक्त परिभाषाएँ है :

(1) विश्व बैंक के अनुसार – ''ई–सरकार का संदर्भ सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल संगणन) के प्रयोग से है, जिनमें नागरिकों, व्यवसाय और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। ये प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कर सकती है। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर सुपुदर्गी, व्यवसाय और उद्योग के साथ सुधरी हुई परस्पर क्रिया, सूचना तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों की अधिकारिता अथवा अधिक सक्षम सरकारी प्रबंधन। परिणामी लाभ कम भ्रष्टाचार, वर्धित पारदर्शिता, अत्यधिक सुविधा, राजस्व वृद्धि और लागत की कमी हो सकते हैं।''

इस प्रकार यहाँ बल नागरिक सरकार परस्पर क्रिया सुधारने, लागत घटाने और राजस्व सृजन तथा पारदर्शिता में सूचना प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर दिया जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय :

संशोधित शोध का अध्ययन क्षेत्र बस्तर संभाग है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। राज्य के सात जिलों को समेटने वाला बस्तर संभाग भौगोलिक आकार में देश के राज्यों यथा केरल से भी बड़ा है। इस क्षेत्र को दण्डकारण्य के तौर पर जाना जाता है। प्रसिद्ध अबूझमाड़ इलाका इसी संभाग के अंतर्गत आता है। बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और कोण्डागाँव सात जिले शामिल है। इनमें कोण्डागाँव और सुकमा दो नये जिलों को भी शामिल किया गया है। 1948 से बस्तर जिला का अस्तित्व है, तब उस समय छत्तीसगढ़ राज्य मध्य भारत का भाग था। बस्तर जिले के उत्तर–पश्चिम में राजनांदगांव, उत्तर में कोण्डागाँव, पूर्व में नारायणपुर और उड़ीसा राज्य का कोरापुट जिला है, तथा पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरोली जिला आदि के मध्य बस्तर जिला घिरा हुआ है। यह कभी केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इजराइल जैसे देशों से बड़ा हुआ करता था। बस्तर जिले को पुर्नगठित कर कांकेर (उत्तर बस्तर) और दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) दो नये जिले

**सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
***सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन), शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

की स्थापना 25 मई 1998 को हुई है। इसके पश्चात् सन् 2007 में एक नये जिले नारायणपुर को बस्तर जिले से अलग कर बनाया गया, फिर जनवरी 2012 में फिर इस जिले को पुर्नगठित कर कोण्डागाँव जिला बनाया गया। इस जिले का मुख्यालय जगदलपुर है। इस संभाग का कुल क्षेत्रफल 6418.05 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला घने जंगलों, छोटी पहाड़ियों, झरनों, प्राकृतिक गुफाओं से घिरा हुआ है। यह जनजातीय बहुल जिला है। यहाँ का पर्व, लोककला तथा शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है। यह जिला प्राकृतिक सुरम्यता तथा खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। यहॉं की मुख्य नदी इंद्रावती आस्था और षक्ति की प्रतीक है। इस नदी के अलावा भद्रकाली नदी भी लोगों की आस्था का केन्द्र है। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में 09 जिले नक्सलवाद से प्रभावित है, जिसमें यह भी एक प्रभावित जिला है।

सात जिलों का प्रशासनिक मुख्यालय बस्तर जिला है। बस्तर संभाग में कांकेर, दन्तेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव सात जिले शामिल किए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 8,33,318 है, जिनमें पुरूष जनसंख्या 4,12,981 व महिला जनसंख्या 4,20,337 है। लिंगानुपात 1024 है। यहाँ साक्षरता का प्रतिषत 54.94 प्रतिशत है। यहाँ औद्योगिकीकरण का विकास हो चुका है, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट व टाटा स्टील प्लांट प्रमुख है।

बस्तर संभाग की जिलेवार जनसंख्या

जिला	जनसंख्या	पुरूष	महिला
बस्तर	833318	412981	420337
दंतेवाड़ा	282803	139671	143152
कांकेर	748593	372987	375606
नारायणपुर	140206	70189	70017
बीजापुर	255180	128761	126419
सुकमा	249988	123891	126097
कोण्डागांव	578326	284378	293948
कुल जनसंख्या	**3088434**	**1532858**	**420337**

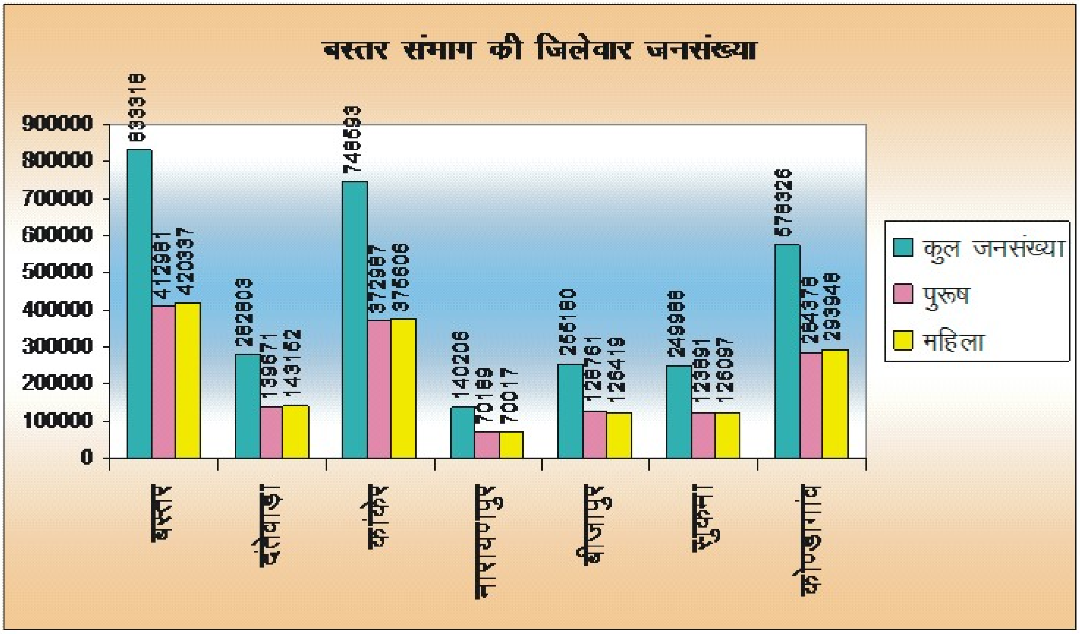

संशोधित शोध विषय का प्रशासनिक एवं राजनीतिक महत्वः

वर्तमान युग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज हम संचार क्रांति के नये युग में सांस ले रहे है। आज ई–शासन आधुनिक परिवेश में सुशासन प्रमुख स्तम्भ के रूप में प्रासंगिक ही नहीं, वरन् अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भी है। यह शासन–प्रशासन की अभिव्यक्ति का परिष्कृत एवं शक्तिशाली साधन होने के साथ–साथ समकालीन राष्ट्र का दर्पण है। ई–शासन में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जनक्रांति एवं परिवर्तन लाने की जो शक्ति है, उस पर अवश्य ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में तेजस्वी ढंग से व जुझारूपन के साथ दुनिया को मुठ्ठी में ढक लेने की प्रकृति ''ई–शासन'' में झलकती है। इसके माध्यम से चतुर्दिक गतिविधियों से परिचित होकर हम कूप–मण्डूकता से मुक्ति पा सकते हैं।

आज छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है और भारत के विकासशील राज्यों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो ''ई–शासन का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। ''ई–शासन वक्त का तकाजा है, समय की पुकार है, सुशासन की दरकार है, तभी तो राजधानी में बैठे राज्य के मुखिया, सुदुरवर्ती दक्षिण–बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर के अधिकारियों से सीधे वार्तालाप कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी प्रगति एवं समस्याओं से सीधे अवगत हो पा रहे है। यह ''ई–शासन की प्रासंगिकता को सार्थक करता है। परिवर्तनशील समय के अनुरूप शासन–प्रशासन की व्यवस्था को परिमार्जित स्वरूप में अपनाना एवं उसी के अनुसार कार्य का सम्पादन प्रशासन की सफलता में सदैव सहायक रहा है, इस दृष्टिकोण से ''ई–शासन'' राज्य के कुशल प्रशासन के सशक्त साधन एवं सजग प्रहरी के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिक एवं आवश्यक है। बस्तर संभाग में ई–शासन की वर्तमान स्थिति का सकारात्मक क्रियान्वयन शहरी परिवश की तुलना में सक्रिय नहीं है। इसका मुख्य कारण बस्तर की भौगोलिक स्थिति जैसे– पहुँच मार्ग, घना जंगल, सुदूरवर्ती ग्राम, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया का त्वरित गति से न पहुँच पाना मुख्य कारण है। झीरम घाटी की घटना इस बात का साक्ष्य है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उचित क्रियान्वयन एवं सुरक्षा बलों तक सूचना का अभाव होने के कारण अत्यधिक जन–धन की हानि हुई, जो ई–शासन की विफलता को प्रदर्शित करता है। यदि यही

घटना शहरी या मैदानी क्षेत्रों में होती, तो इनकी तुलना में कम जन–धन की क्षति होती।

शोध की अध्ययन पद्धति :

प्राथमिक स्त्रोत : प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार किया गया। अध्ययन क्षेत्र में कुल 301 उत्तरदाता हैं। 7 जिलों के प्रत्येक जिले से 43 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया।

तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि :

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार, अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया।

प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण :

प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण पश्चात् सारणीयन किया गया तथा सारणी के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण क्रमबद्ध रूप से किया गया, तत्पश्चात् निष्कर्ष निकाला गया।

तालिका क्रमांक 1 : ई–गवर्नेन्स के संबंध में जानकारी

क्र0.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	193	64.33
02	नहीं	107	35.67
03	कह नहीं सकते	–	
04	प्रश्न समझ में नही आया	–	
		300	**100**

तालिका 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन गत उत्तरदाताओं में 64.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनको ई–गवर्नेंस के संबंध में जानकारी है, जबकि 35.67 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि उनको ई–गवर्नेंस के संबंध में जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक 2 : ई–गवर्नेन्स अभी भी ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में एक कल्पना है

क्र0.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	160	53.33
02	नहीं	102	34.00
03	कह नहीं सकते	28	9.33
04	प्रश्न समझ में नही आया	10	3.33
		300	**100**

तालिका 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन गत उत्तरदाताओं में 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि ई–गवर्नेंस ग्रामीण क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी एक कल्पना है, जबकि 34 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि ई–गवर्नेंस ग्रामीण क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी कल्पना नहीं है व 9. 33 प्रतिशत उत्तरदाता ने तटस्थता बनाते हुए जवाब नहीं दिया और 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता को प्रश्न समझ में नहीं आया। अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र के लोग कम शिक्षित हैं, जिसके प्रभाव के कारण ई–गवर्नेंस की अवधारणा एक कल्पना है।

तालिका 3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन गत उत्तरदाताओं में 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि

तालिका क्रमांक 3 : ई–गवर्नेन्स से लालफीताशाही में कमी

क्र0.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	140	46.67
02	नहीं	90	30.00
03	कह नहीं सकते	60	20.00
04	प्रश्न समझ में नही आया	10	3.33
		300	**100**

शासकीय सेवाओं के क्रियान्वयन में लालफीताशाही की बुराइयाँ समाप्त हो रही हैं, जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शासकीय सेवाओं के क्रियान्वयन में लालफीताशाही की बुराइयाँ समाप्त नहीं हो रही हैं व 20 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थता बनाते हुए जवाब नहीं दिया और 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता को प्रश्न समझ में नहीं आया।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीकी का विकास पूरी तरह नही हो पाया है तथा जागरूकता का अभाव इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा भौगोलिक संरचनाओं के कारण वहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। वर्तमान समय में बस्तर संभाग में ई–शासन के कारण चतुर्दिक विकास दिखाई दे रहा है। आम नागरिक संचार के साधनों जैसे मोबाइल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं तथा सूचनाओं तथा सरकारी कार्यों का सरलीकरण हो जाने के कारण नागरिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

सुझाव :

(1) नौकरशाही व्यवहार में परिवर्तन लाना।
(2) कागजी कार्यवाही को कम करना।
(3) सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलना।
(4) भाषा संबंधी समस्या को दूर करना।
(5) कर्मचारियों को यथोचित प्रशिक्षण देना।
(6) सरकारी वेबसाइट को अद्यतन करना।
(7) सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण करना।

संदर्भ :

(1) http:worldbank.org / M.IJHEOZ280 (19.08.2008)
(2) प्रतियोगिता दर्पण, मई 2017, पृ.सं. 83–86.
(3) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के लिए अभिमुखता और ई– अधिशासन पर कार्य समूह की रिपोर्ट, योजना आयोग, नवम्बर 2001, पृ.सं. 83.
(4) छत्तीसगढ़ संदर्भ 2014.
(5) मासिक पत्रिका योजना, नवम्बर 2013, पृ.सं. 31–34.
(6) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का 11 वॉ प्रतिवेदन (ई–गवर्नेंस)।
(7) http: // www.chips gov.in/content/choice hindi

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal :
Research Paper
Research Link - 165, Vol - XVI (10), December - 2017, Page No. 144-145
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

आधुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोधपत्र में आधुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता का अध्ययन किया गया है। वर्तमान शैक्षिक सिद्धांत एवं शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को आत्मज्ञान से विमुक्त करते हुए मात्र भौतिक उत्थान के पथ पर अग्रगामी कर रही है, जिसके परिणामस्वरुप मनुष्य का विकास तो होता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु मनुष्यत्व की कल्पना विलीन होती जा रही है। अतः वर्तमान शैक्षिक परिवेश के संदर्भ में स्वामी विवेकानन्दजी के शैक्षिक उपदेश एवं मूल्य अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रासंगिक हैं तथा इनकी प्रासंगिकता तब और भी बढ़ जाती है, जब समाज का पतन अत्यंत तेजी से हो रहा है एवं वांछित परिस्थितियाँ आशा के विपरीत अत्यंत दूर दिखाई दे रही हैं।

डॉ.सुरेश कुमार कौशल* एवं सज्जन सिंह**

प्रस्तुत शोध–पत्र में स्वामी विवेकानन्द जी के शैक्षिक विचारों/शैक्षिक दर्शन एवं आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता का विवेचन किया गया है। स्वामी जी के अनुसार केवल जानकारी प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा विभिन्न प्रकार की जानकारियों का ढ़ेर भी नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूँस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ ताउम्र पड़ा रहकर उलझने पैदा किया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है, जो जीवन–निर्माण, मनुष्य–निर्माण तथा चरित्र निर्माण के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण में सहायक हैं।

अर्थ :

स्वामी विवेकानन्द जी प्रभावशाली प्रगतिशील एवं ओजपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने विचारों में यह प्रतिपादित किया कि आज भारत को मानवता तथा चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। उनके अनुसार मानव में कुछ शक्तियाँ पूर्ण निहित होती हैं जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से मानव बनाती हैं तथा मानवीय गुण विकसित करती हैं। अतः इन पूर्व निहित शक्तियों को विकसित करना ही शिक्षा है। स्वामी जी के अनुसार राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सहिष्णुता को कायम रखने के लिए आमजन का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसी अनुपात में होती है, जिस अनुपात में वहाँ के जनसमुदाय में शिक्षा का प्रचार व प्रसार होता है।

स्वामी जी ने शिक्षा को मनुष्य में अर्न्तनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। स्वामी जी के शब्दों में ''मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।''

स्वामी जी के अनुसार यदि तुम केवल पाँच ही परखे हुए विचारों को आत्मसात करके उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कण्डस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता, तब तो पुस्कालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते, विश्वकोष महान् ऋषि बन जाते।

प्राचीन शिक्षा प्रथा :

भारत वर्ष का प्राचीन शिक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली से पूर्णतः भिन्न थी। गुरु–शिष्य का एक आत्मीय संबंध होता था। विचार, वाणी और कार्य की शुद्धता नितान्त आवश्यक थी। विद्यार्थियों को शिक्षा–प्राप्ति के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। ऐसी धारणा थी कि ज्ञान इतना पवित्र है कि उसे किसी मनुष्य को बेचना नहीं चाहिए। ज्ञान का दान–मुक्तहस्त होकर बिना कोई दाम लिए करना चाहिए। शिक्षकगण विद्यार्थियों को उनसे शुल्क लिए बिना ही अपने पास रखते थे। इतना ही नहीं बहुतेरे गुरु तो अपने शिष्यों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। गुरू एक तेज है, जिसके आते ही सारे वस्त्र संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है, जिसके बजते ही अनाहद–नाद सुनने शुरू हो जाते है। गुरू वो दीक्षा है, जो सही मायने में मिलती है, तो भव सागर पार हो जाते हैं तथा गुरू, वो प्रसाद है, जिसके भाग्य हो उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।

स्वामी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत :

शिक्षा के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था। भारतीयता तथा अध्यात्मिकता उनकी रंग–रंग में कूट–कूटकर भरी हुई थी। अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार भी वेद एवं उपनिषद ही रहे। उन्होंने सैद्धांतिक शिक्षा का खण्ड करते हुए व्यवहारिक तथा प्रायोगिक शिक्षा पर बल दिया। उनके द्वारा दिए गए शिक्षा–दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्न हैं :

**शोध निर्देशक एवं एसोसियेट प्रोफेसर, एम.एल.आर.एस.कॉलेज, चरखी-दादरी (हरियाणा)*
***शोधछात्र, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी-बड़ी-झुन्झनू (राजस्थान)*

(1) शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता तथा मुक्ति देना और सकारात्मक विचारों का विकास करना होना चाहिए।

(2) शिक्षा केवल पुस्तकों का अध्ययन और सूचनाओं का संग्रहण ही नहीं है। अपितु यह जीवन–निर्माण, मानव–निर्माण और चरित्र–निर्माण तथा विचारों का संग्रह है।

(3) स्वामी जी के अनुसार ज्ञान मानव में पहले से विद्यमान है। शिक्षा के द्वारा उस विद्यमान ज्ञान को बाहर निकालना है।

जन शिक्षा प्रणाली का निर्माण करके लड़के–लड़कियों को समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा के साथ–साथ पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनसे बालक का भौतिक व आध्यात्मिक विकास संभव हो सके। स्त्रियों को विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए और यह शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से न देकर व्यवहार आचरण और संस्कारों के माध्यम से दी जानी चाहिए।

(4) शिक्षक को एक मित्र दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में में सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान को पथ–प्रदर्शन करना चाहिए।

स्वामी जी के अनुसार हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो तथा जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजि ज्ञान भण्डार की विभिन्न शाखाओं के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिससे उद्योग–धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके।

यह वस्तुतः दुखद विडम्बना ही है कि वर्तमान शिक्षा अपने अध्यात्मिक उद्देश्यों से बहुत विचलित हो चली है। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को एक सफल उद्यमी, अधिकारी व कर्मचारी तो बना सकती है, परन्तु उसके व्यक्तित्व की पूर्णता तभी संभव है जब व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों की तरफ यथोचित ध्यान देते हुए शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उद्देश्यों के निर्धारण में जीवन लक्ष्यों पर केंद्रित नहीं होती दिखाई दे रही है। आज की तीव्रगामी दुनिया में शांति, समृद्धि सुख एवं व्यक्तिगत विकास के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए 'अहम् ब्रह्मास्मि' एक ऐसे बोध वाक्य के रूप में कार्य करता है, जिससे कि हम अपनी समस्त इच्छित व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः शिक्षा के उद्देश्यों के पूर्व कल्पना में जीवन लक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्टतः समझा जा सकता है और यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों में जीवन लक्ष्यों की भूमिका सर्वाधिक प्रासंगिक है।

वर्तमान शैक्षिक सिद्धांत एवं शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को आत्मज्ञान से विमुक्त करते हुए मात्र भौतिक उत्थान के पथ पर अग्रगामी कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य का विकास तो होता हुआ प्रतीत हो रहा है, परन्तु मनुष्यत्व की कल्पना विलीन होती जा रही है। अतः वर्तमान शैक्षिक परिवेश के संदर्भ में स्वामी विवेकानन्द जी के शैक्षिक उपदेश एवं मूल्य अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रासंगिक हैं तथा इनकी प्रासंगिकता तब और भी बढ़ जाती है, जब समाज का अद्योपतन अत्यंत द्रुत गति से हो रहा है एवं वांछित परिस्थितियाँ आशा के विपरीत अत्यंत सुदुर दिखाई दे रही हैं।

संदर्भ :

(1) ओड, लक्ष्मी लाल (2008) : शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

(2) रोलां, रोमां (1968) : विवेकानन्द, लोक भारतीय प्रकाशन।

(3) लाल, रमन बिहारी (2001) : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ।

(4) कमल, एम.पी. (2006) : स्वामी विवेकानन्द, राजा पौकेट बुक्स, नई दिल्ली।

(5) संसार चन्द्र (2008) : भारत के आदर्श महापुरुष, कृति प्रकाशन, नई दिल्ली।

(6) विवेकानन्द, स्वामी (2000) : भारत का ऐतिहासिक क्रम विकास एवं अन्य प्रबंध, रामकृष्ण मठ, नागपुर।

❁ ❁

UGC -
Approved - Journal

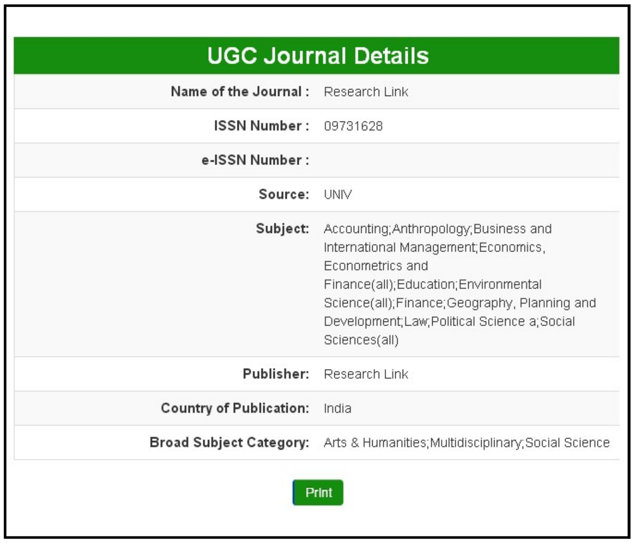

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science
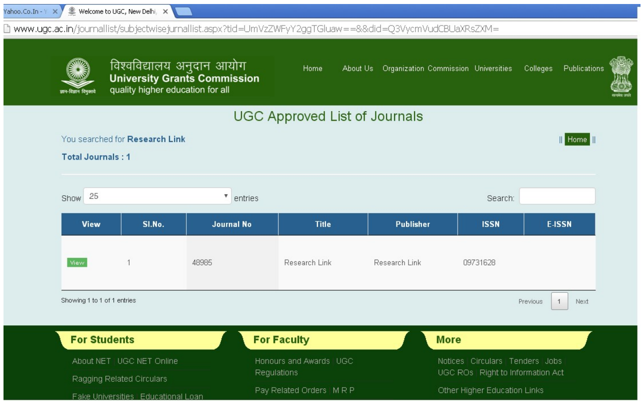
Print